जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-08.06.2025**

थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कैडी बस स्टैंड पर टैम्पू चालक के साथ मारपीट, गाली गलौज करने व जाति सूचक शब्द बोलने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 06.05.2025 को रविन्द्र पुत्र रामशरण निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली के साथ कैडी बस स्टैंड पर कुछ युवकों द्वारा मारपीट, गाली-गलौज व जाति सूचक शब्द बोलने के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर लिखित तहरीर दी गई । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली ने उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष थाना बाबरी को निर्देशित किया गया था।

आज दिनांक 08.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कैडी बस स्टैंड पर टैम्पू चालक के साथ मारपीट, गाली गलौज करने व जाति सूचक शब्द बोलने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अंकुर पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

2.है0का0 संदीप कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

3.है0का0 सुधीर कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 08.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.नौशाद उर्फ भोला पुत्र असलम तुल्ला निवासी मोहल्ला आर्यनगर कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.-रवि पुत्र चंद्र निवासी ग्राम ख्यावाडी थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला सलेकविहार में पत्नी द्वारा पति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद।

ज्ञात हो कि आज दिनांक 08.06.2025 को वादी इरफान पुत्र याकूब निवासी मौहल्ला मनिहारन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली की पुत्री समुईय्या द्वारा पारिवारिक विवाद को लेकर अपने पति खुर्शीद पर धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से हमला करने के मामले में लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा संज्ञान लेते हुए घटना में लिप्त अभियुक्ता की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 08.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला सलेकविहार में पत्नी द्वारा पति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। अभियुक्ता के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्ताः-

1.सुमईय्या पत्नी खुर्शीद निवासी मौहल्ला सलेकचन्द्र विहार गली न0 05 थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री साहब सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.म0उ0नि0 श्रीमती मोनिका जिंदल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.म0हो0गा0 रूबी चौहान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।